मुठभेड़ में गोकशी का आरोपित गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

कुछ दिनों पहले आरोपित ने साथियों के साथ की थी गोकशी

नहटौर पुलिस की गिरफ्त में आरोपित • सौ. पुलिस

[illegible]

हनी ट्रैप प्रकरण में खंगाला जा रहा है सरगना का संपर्क, एक महिला की तलाश

[illegible]

नामजद आरोपितों की तलाश में पुलिस की रातभर ताबड़तोड़ दबिश

[illegible]

संभावित स्थानों पर रातभर दी दबिश

[illegible]

नैनो उर्वरकों के प्रयोग से कम खर्च में होती है अधिक पैदावार : डीसीओ

[illegible]

बुखार के 22 मरीजों को जांचा

[illegible]

[illegible]

जांच का दूसरा दिन, 55 आवासों में मिले अपात्र

[illegible]

मदारीपुर विवाद में 14 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा

[illegible]

मालवाहन वाहनों पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई

[illegible]

NOTICE

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
NOTICE OF APPEAL FROM ORDER PUBLICATION NOTICE

[illegible]

सपा प्रदेशाध्यक्ष पर की गई टिप्पणी की निंदा कार्रवाई की मांग

[illegible]

चोरी की बाइक समेत आरोपित गिरफ्तार

[illegible]

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना E-Auction के द्वारा

मण्डल कार्यालयः बंसत विहार कॉलोनी निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701, ईमेल- cobznsam@pnb.bank.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) [नियम 8(6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/बंधक/प्रभारित है का **सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है''** के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी**/ गारन्टरों की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें **BAANKNET.COM**

क्र0 सं0	शाखा/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधक)	ए) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख बी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया रकम सी) 31.08.2026 तक मौजूदा बकाया रकम डी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारीख ई) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक कब्जा	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
1	शाखा अफजलगढ़, बिजनौर मैसर्स अग्रवाल मसाले, प्रोपराइटर द्वारा (**ऋणी फर्म**), श्री राहुल अग्रवाल पुत्र श्री राज कुमार अग्रवाल (प्रोपराइटर), श्री राज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री काली चरण (**गारन्टर/बंधककर्ता**)	बंधक सम्पत्ति स्थित मौहल्ला किला कस्बा एवं परगना- अफजलगढ़, तहसील- नगीना, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। (सम्पत्ति स्वामी श्री राज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री काली चरण), कुल माप क्षेत्रफल 14.00 वर्ग मीटर, बही नं0 01, जिल्द नं0 1175/1273, पेज नं0 402/313-316, क्र0सं0 3903, दिनांक 27.07.1999, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नगीना, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँ:- पूर्वः नागेन्द्र कुमार वर्मा की दुकान, पश्चिमः गली, उत्तरः गोपी चन्द का मकान, दक्षिणः सुभाष कुमार एवं पुरण सिंह ध्यानी की दुकान।	(ए) 24.04.2023 (बी) रू0 18,17,228.93 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2023 (सी) रू0 21,44,681.33 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.08.2026 (डी) 28.07.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 12,63,000/- रू0 1,26,300/- रू0 20,000/-	**28.09.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
2	शाखाः कोतवाली, बिजनौर शाहिद खान पुत्र श्री मौहम्मद इशहाक (**ऋणी/बंधककर्ता**)।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित ग्राम इब्राहीमपुर राजू (देवेन्द्र नगर), परगना और तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.) (सम्पत्ति स्वामी श्री शाहिद खान पुत्र श्री मौहम्मद इशहाक), कुल माप 104.08 वर्गमीटर, बही नं. 01, जिल्द नं. 192, पेज नं. 141 से 158, क्रंमाक नं. 2822, दिनांक 30.08.1993, सब रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ.प्र.) पर पंजीकृत है। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँ:- पूर्व- प्लॉट नं. 48, पश्चिम- 10 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, उत्तर- 10 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, दक्षिण- प्लॉट नं. 47	(ए) 06.02.2025 (बी) रू0 9,91,735.25 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.01.2025 (सी) रू0 9,79,955.29 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.08.2026 (डी) 21.05.2025 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 22,90,000/- रू0 2,29,000/- रू0 10,000/-	**28.09.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
3	शाखाः नूरपुर, बिजनौर **ऋणीः** मैसर्स ताज रेफ्रिजरेशन एंड फ्रूट कम्पनी प्रोपराइटर द्वारा, श्री शहनवाज (प्रोपराइटर फर्म), **प्रोपराइटर/बंधककर्ताः** श्री शहनवाज पुत्र श्री रफीक अहमद, **गारन्टरः** श्री रफीक अहमद पुत्र श्री नाथवा।	**सम्पत्ति नं0 1.** बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- बंजारन कस्बा नूरपुर, तहसील- चांदपुर, जिला- बिजनौर (सम्पत्ति स्वामी शहनवाज पुत्र रफीक अहमद)। कुल माप क्षेत्रफल 34.18 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 8533, पेज नं0 19/60, क्र0सं0 12135, दिनांक 14.11.2017, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस चांदपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँ:- पूर्वः नाथवा का मकान, पश्चिमः क्रेता की आबादी फिर 5.5 फीट चौड़ी गली रास्ता, उत्तरः विक्रेता का मकान, दक्षिणः विक्रेता का मकान। **सम्पत्ति नं0 2.** बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- बंजारन कस्बा नूरपुर, तहसील- चांदपुर, जिला- बिजनौर (सम्पत्ति स्वामी शहनवाज पुत्र रफीक अहमद)। कुल माप क्षेत्रफल 14.35 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 8532, पेज नं0 373/400, क्र0सं0 12133, दिनांक 14.11.2017 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस चांदपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँ:- पूर्वः क्रेता का मकान, पश्चिमः 5.5 फीट चौड़ी गली रास्ता, उत्तरः फारूकन का मकान, दक्षिणः फारूकन का मकान।	(ए) 06.04.2024 (बी) रू0 19,96,452.24 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2024 (सी) रू0 25,37,460.24 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.08.2026 (डी) 04.07.2024 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 13,69,000/- रू0 1,36,900/- रू0 10,000/-	**28.09.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
4	शाखाः काशिमपुर गढी **ऋणीः** मैसर्स कैफ एन्टरप्राइजेज, प्रोपराईटर इसरार अहमद पुत्र बब्बन अहमद, **गारन्टरः** श्री मौहम्मद अफजल पुत्र श्री बब्बन।	बंधक प्लॉट क्षेत्रफल माप 332.00 वर्गमीटर स्थित ग्राम कासिमपुर गढ़ी निकट नहर कासिमपुर गढ़ी वाया शिव मंदिर, सम्पत्ति स्वामी श्री इसरार अहमद पुत्र श्री बब्बन अहमद और श्री मौहम्मद अफजल पुत्र श्री बब्बन अहमद दिनांक 24.07.2014 बही नं. 01, जिल्द नं. 8829, पेज 21 से 60, क्रंमाक नं. 15274, सब रजिस्ट्रार कार्यालय धामपुर पर पंजीकृत है। सीमाएँ- पूर्व- गुलशन जहां, पश्चिम- रास्ता, उत्तर- क्रबिस्तान की सम्पत्ति, दक्षिण- श्री रफी और गुलशन जहां की सम्पत्ति।	(ए) 22.10.2019 (बी) रू0 22,64,549/- + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.07.2016 (सी) रू0 69,32,283/- + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.08.2026 (डी) 03.01.2020 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 51,67,000/- रू0 5,16,700/- रू0 20,000/-	**28.09.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।

1. नीलामी बिक्री ''ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन'' पोर्टल **https://baanknet.com/** होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com/)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 5 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई-नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) **(https://baanknet.com/)** के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होनें ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म **(https://baanknet.com/)** ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB Alliance Private Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट–1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (संपर्क टोलफ्री नंबर +91 8291220220, ई–मेलः– psba@psballiance.com)** इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com/** के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा । 5. यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिंत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या नोडल अधिकारी **श्री जितेन्द्र कुमार झा, मो0 नं0 9634200162** से **पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701** मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी तत्काल या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. नीलामी की स्वीटि के 15 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। यदि वह शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिये गये समय में नहीं कर पाता तो जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और अनुपस्थित/दोषी व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी सभी दावे या उससे सम्बन्धित दावे जिनकी बोली लगाई जानी है, वह भी खत्म हो जायेंगे। यदि नीलामी वाले दिन को अवकाश घोषित है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी। 9. **प्लांट और मशीनरी पर जीएसटी/टीसीएस एवं अन्य कर क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।** 10. सफल बोलीकर्ता को रिजर्व मूल्य के एक क्रम ऊपर (बोली वृद्धि राशि) बोली लगाना अनिवार्य है। 11. यह इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 12. प्राधिकृत अधिकारियों की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदातओं, को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति के भार, श्शीर्षक, संपत्ति के भौतिक क्षेत्र और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोली लगाने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, कर के बकाया, दावों आदि के बारे में पूछताछ करना। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या ना हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थान का बकाया जैसे किसी भी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकरण/सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 14. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है/सावधान किया जाता है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राजस्व रिकॉर्ड/अन्य वैधानिक प्राधिकारियों जैसे बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/आयकर आदि को सत्यापित करें और संपत्ति की प्रकृति, विवरण, शर्तों, बाधा, लाइन, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 15. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थिगत/निषेध/निरोधक आदेश के लंबित रहने तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 16. बिक्री पर रोक/रद्दीकरण' ओआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक के मामले में, नीलामी को या तो स्थगित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, बिक्री में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान, मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 17. बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना और कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/स्थगित करने/रद्द करने/बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवके है। 18. ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी की दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चा सहित वसूल की जायेगी। नोटः अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क करें- **9634200162.** 19. किसी भी बोली वृद्धि को भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी दोनों पर आनुपातिक रूप से बढ़ा हुआ माना जाएगा।

दिनांकः 09.09.2026 स्थान – बिजनौर प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार